

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला बारां (राज)

क्रमांक 83/25

दिनांक 25-9-25

- :: निर्णय :: -

प्रार्थी श्री अवध विशोर पुत्र, पुत्री, श्री शिवचरण न प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम हलगाना पटवारी माफकन 20507 तहसील छबड़ा जिला बारां की चालू जमाबंदी सम्वत् 2076-77 के खाता संख्या 170 में खातेदार/गैरखातेदार का नाम/जाति अविज्ञात अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है। जिसो सम्मानजनक रूप से अंकित किया जावे। प्रार्थी के आवेदन पत्र की जांच पटवारी 20507 से करवाने पर पटवारी ने अवध के बजाय अवध विशोर करना उचित बताया। तहसीलदार छबड़ा ने भी उक्त खाते में अवध के बजाय अवध करना उचित बताया। अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 369 राजस्थान भूराजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत ग्राम हलगाना के खाता संख्या 170 में खातेदार/गैरखातेदार का नाम/जाति अवध के स्थान पर सम्मानजनक रूप से अवध विशोर दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार छबड़ा तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करे।

उपखण्ड अधिकारी
(Land Record Officer)
छबड़ा जिला बारां
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)